टीकाकरण अभियान/महत्वपूर्ण

संख्या-85/2016/1817/सैंतीस-2-2016-30(95)/2015

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-23 जुलाई, 2016

विषय- पशु रोग नियंत्रण (एस्कैड) योजनान्तर्गत गलाघोंटू बीमारी (हैमरेजिक सेप्टीसीमिया-एच0एस0) हेतु रोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

भारत सरकार के सहयोग से पशुओं में गलाघोंटू बीमारी, रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत लगभग 04 करोड पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण (03 माह के बच्चों को तथा 08 माह से अधिक से अधिक गर्भित पशुओं को छोडते हुये) दिनांक 20 अगस्त, 2016 तक अभियान चलाकर संचालित किया जाना है। अभियान के समयबध्द संचालन हेतु टीमों का गठन कर, प्रत्येक दिवस का रूट चार्ट बनाकर सघन टीकाकरण किया जाना है। वैक्सीन को भण्डारण के स्थान से पशुओं के टीकाकरण तक पर्याप्त कोल्ड चेन में परिरक्षित किया जाना है। टीकाकरण का कार्य प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है।

2- गलाघोंटू रोग पशुओं में तेजी से फैलने वाल जीवाणुजनित रोग है, जिससे पशुओं में उनके उत्पादन एवं कार्यक्षमता पर प्रभाव पडता है, रोग के तीव्र प्रकोप की स्थिति में पशुओं की म़त्यु भी हो जाती है। वर्तमान में प्रदेश में कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु जैसी महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिससे अन्य प्रदेशों से पशु लाये जा रहे हैं, इन पशुओं को भी पर्याप्त रोगनिरोधक टीका लगाकर रोगमुक्त बनाये रखने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में दुग्ध एवं मांस उत्पादन का स्तर बना रहे एवं पशुपालकों को भी आर्थिक क्षति न उठाना पडे। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 04 करोड पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जाना है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको सफल बनाना एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महत्वपूर्ण/व्यापक अभियान में आपका सक्रिय सहयोग, कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व आवश्यक है। कृपया अपने मण्डल/जनपद के अपर निदेशक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ प्रस्तावित अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर इसे गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करते हुये कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करें। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी रूप से दक्ष पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस अवाधि में पशुपालन विभाग के कार्मिकों को अन्य ड्यूटी से मुक्त रखा जाय। उपरोक्त कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण आवश्यक है, अतः समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद के कम से कम 50 गांवों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों को भेजकर टीकाकरण का सत्यापन अनिवार्य रूप से करायें, इसके अतिरिक्त आप एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान टीकाकरण की पुष्टि करें।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-85/2016/1817/सैंतीस-2-2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/(रोग नियत्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, (संबंधित मण्डल)/समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।